

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
शंकरलाल पुत्र नारायण जाति जाट  
सा. त्योदा तह. सांभर लेक

बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान  
दल्लाराम पुत्र हीराराम जाति जाट वगै.  
सा. त्योदा तह. सांभर लेक

किस्म मुकदमा : 88,53,188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 227/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
23.09.2022	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.10.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm, (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>	
27/10/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे हे पत्रावली दिनांक 13/12/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">४५</p>	
13/12/22	<p>अधिवक्ता वादी उपर तलबी पुनः पेश करें। किंकि 14/12/23 को पेश हो।</p>	
14/2/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे हे पत्रावली दिनांक 21/5/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">४५</p>	शंकर लाल
20/4/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी ने प्रारम्भ पत्रावली में निवेदन किया कि इस वाद को जारी नहीं चलाना चाहता हूँ। इसलिए इस पत्रावली को श्राज ही तलब कर जल्द विज्ञापित किया जावे।</p> <p>क्षतः वादी के निवेदन पर वादी का वाद पत्र जल्द विज्ञापित किया जाता है। पत्रावली केसल मुमाद होकर नम्बर (५) व ६ लिखित दफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;">४५</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)</p>	